



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270854
CG-DL-E-11032026-270854

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1224]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1224]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1281(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उड़ीसा राज्य के बलांगीर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के तेल पुल का निर्माण अप्रोचेस के साथ कि.मी. 126.744 से कि.मी.126.744 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, सैंताला को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के बलांगीर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के तेल पुल का निर्माण अप्रोचेस के साथ कि.मी. 126.744 से कि.मी.126.744 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: बलांगीर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सैंताला					
गांव का नाम: बेलगाँ					
1	1100/1342	सरकारी	नादी	0.664 (हेक्टेयर)	0.664
2	541/1296	निजी	माल मामूली	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
3	542	निजी	मल मामूली	0.144 (हेक्टेयर)	0.144
4	542/1224	निजी	मल मामूली	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
5	544	निजी	मल मामूली	0.299 (हेक्टेयर)	0.299
6	551	निजी	बर्ना मामूली	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
7	555	निजी	बर्ना मामूली	0.228 (हेक्टेयर)	0.228
8	556	निजी	बर्ना मामूली	0.236 (हेक्टेयर)	0.236
9	566	सरकारी	पतित	0.118 (हेक्टेयर)	0.118
10	567	निजी	अटा मामूली	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
11	567/1179	निजी	अटा मामूली	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
12	568	सरकारी	बांधली अदी	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
13	569	सरकारी	बंधा आदी	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
14	570	निजी	बहल पानी दुई	0.098 (हेक्टेयर)	0.098
Total					2.289

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1281(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-26 in the stretch of land for construction of Tel bridge with approaches from Km. 126.744 to Km. 126.744 (Tahasildar, Saintala) in the district of BALANGIR in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar, Saintala in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-26 in the stretch of land for construction of Tel bridge with approaches from Km. 126.744 to Km. 126.744 (Tahasildar, Saintala) in the district of BALANGIR in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: BALANGIR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Saintala					
Village: Belgaon					
1	1100/1342	Government	Nadi	0.664 (Hectare)	0.664
2	541/1296	Private	Maal mamuli	0.022 (Hectare)	0.022
3	542	Private	Mal Mamuli	0.144 (Hectare)	0.144
4	542/1224	Private	Mal Mamuli	0.003 (Hectare)	0.003
5	544	Private	Mal Mamuli	0.299 (Hectare)	0.299
6	551	Private	Berna Mamuli	0.015 (Hectare)	0.015
7	555	Private	Berna Mamuli	0.228 (Hectare)	0.228
8	556	Private	Berna Mamuli	0.236 (Hectare)	0.236
9	566	Government	Patit	0.118 (Hectare)	0.118
10	567	Private	Ata Mamuli	0.18 (Hectare)	0.18
11	567/1179	Private	Ata Mamuli	0.023 (Hectare)	0.023
12	568	Government	Bandhali Adi	0.202 (Hectare)	0.202
13	569	Government	Bandha Aadi	0.057 (Hectare)	0.057
14	570	Private	Bahal Pani dui	0.098 (Hectare)	0.098
Total					2.289

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A]
SHAIKH AMINKHAN, Director